उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार– 249404

संख्याः 451/01/E-4/FOREST (DR)/2024-25, दिनांकः 24 फरवरी, 2026

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025 के सम्बन्ध में निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अभ्यर्थीगण के प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मा0 आयोग द्वारा सम्यक् रूप से विचारित करते हुए तालिका के स्तम्भ–3 के अनुसार निम्नवत् निस्तारित कर दिया गया है–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	निस्तारण आदेश
1	2	3
1	अंकित भट्ट, सुमित सिंह राणा (अनु–113130) व अन्य, धर्मवीर सिंह मौर्य एव अन्य, वरूण शर्मा व अन्य तथा सुमित राणा (अनु–122800)	अभ्यर्थीगण द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 आयोग द्वारा रिट याचिका संख्याः 447/2025 (एस0/बी0) विशाल सैनी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांकः 26.11.2025 को पारित निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ दिनांकः 06.01.2026 को **विज्ञप्ति/शुद्धि पत्र** जारी करते हुए एक विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि **"सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025'** हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्याः A-1/ E-4/FOREST (DR)/ 2024-25, दिनांकः 30 जनवरी, 2025 में स्केलिंग पद्वति लागू नहीं किये जाने से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 18 एवं महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्याः 17(ग)12 तथा सामान्य निर्देश के बिन्दु संख्याः 18(22) को निरस्त किया जाता है। **सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025** के अन्तर्गत मुख्य (लिखित) परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग पांच के विनियम–6 के अनुसार स्केलिंग पद्वति लागू की जाएगी।" अतः उक्त के दृष्टिगत सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025 के अन्तर्गत स्केलिंग पद्वति लागू किये जाने के परिणामस्वरूप पुनः परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में अभ्यर्थीगण द्वारा किये गये अनुरोध को मा0 आयोग द्वारा अस्वीकार करते हुए उक्त प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।
2	देवकी राणा, नवीन चन्द्र, अमित राणा	अभ्यर्थीगण द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्याः 447/2025 (एस0/बी0) विशाल सैनी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांकः 26.11.2025 को पारित निर्णय के अनुपालन में मा0 आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि **सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025** में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग पांच के विनियम–6 के अनुसार स्केलिंग पद्वति लागू की जाएगी।" अतः उक्त के दृष्टिगत "सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025 के सम्बन्ध में अभ्यर्थीगण द्वारा किये अनुरोध पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने के कारण मा0 आयोग द्वारा तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया है।

-Sd-

(अशोक कुमार पाण्डेय)

सचिव।